राजस्थान सरकार

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)**

**पीठासीन अधिकारी—श्री सुखाराम पिण्डेल, आर.ए.एस.**

**राजस्व वाद संख्या— 25/22**
**जी0सी0एम0एस0 संख्या— 2022/102**
**दायर दिनांक— 01.08.2022**
**निर्णय दिनांक— 24.06.2023**

1. मनभर देवी पत्नि नाथूलाल हाल निवासी रामपुरावास, तहसील सांगानेर
2. आशा पत्नि बोदू
3. घीसी पुत्री रामदेव
4. तुलछा देवी पत्नि भैरूलाल
सर्वजाति जाट, प्रार्थी संख्या 2 से 4 ग्राम घ़सवां की ढाणी, सुरसुरा, तहसील रूपनगढ़

....प्रार्थीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

—अप्रार्थी

**प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान—भू—राजस्व अधिनियम 1956**

उपस्थिति—:1. श्री विमल किशोर तिवाड़ी, अधि0 प्रार्थी
2 पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपगनढ़

**—:निर्णय:—**

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ग्राम त्योद, पटवार हल्का त्योद, भू—अ0नि0 क्षेत्र भदूण, तहसील रूपनगढ़ के खाता संख्या 349 के ख0न0 1226 रकबा 8.7372 है0 भूमि संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजी अवस्थित है। मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थीगण की वाद वर्णित कृषि आराजी की अन्य खसरा नम्बरान से लगी हुई पडौसी खातेदारान की भूमि के मध्य नींव, सींव को लेकर विवाद होते है। प्रार्थीगण ने अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाने के आदेश तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा हल्का पटवारी व गिरदावर के नाम से करवाये। सीमाज्ञान हल्का पटवारी व गिरदावर द्वारा किया गया था। सीमाज्ञान अनुसार पतथरगढ़ी किये जाना उचित है। आये दिन नींव—सींव को लेकर विवाद होते रहते है। पड़ौसी खातेदार नींव—सींव उखाड़ने को आमादा हो जाते है। उक्त खसरा नम्बर की भूमि की भविष्य में अन्य पड़ौसी खातेदार की भूमि की नींव, सींव को लेकर विवाद उत्पन्न ना हो इसलिए पत्थरगढ़ी किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण की ओर से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने के आदेश फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 13:56:58 IST
Reason: SelfAttested

24.6.23
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी का नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया गया। प्राप्त जवाब अनुसार प्रकरण में किसी तरह का कोई राजहित प्रभावित नहीं होना जाहिर किया गया। वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी की भूमि का सीमाज्ञान करवाया जा चुका है। सीमाज्ञान अनुसार ही मौके पर पत्थरगढ़ी करवाये जाने के आदेश फरमावें। पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ ने अपनी बहस में पैरोकार सरकार के जवाब को ही बहस माने जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। तदनुसार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार योग्य प्रतीत होने से स्वीकार किया जाकर ग्राम त्योद के खाता संख्या 349 के ख0न0 1226 रकबा 8.7372 है0 भूमि की पडौसी खातेदारो को सूचित करते हुये उनकी उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है।

इस हेतु तहसीलदार रूपनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क की राशि रूपये 1000/– अक्षरे एक हजार रूपये मात्र नियत की जाती है। जिसका मौके पर भुगतान हो। पत्थरगढ़ी शुल्क की राशि रूपये 100/– अक्षरे एक सौ रूप्ये मात्र जरिये चालान जमा होने पर आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मजमे आम में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

24.6.23

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 13:56:58 IST
Reason: SelfAttested